न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 10/2020
दायर दिनांक : 20/06/2020
निर्णय दिनांक : 18/11/2024

उनवान

1. मिठूलाल पिता घीसा हरिजन निवासी पारी तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. बाबूलाल पिता घीसा हरिजन निवासी पारी तहसील भूपालसागर
2. तहसीलदार, भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. कन्हैयालाल माली, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री रामलाल गुर्जर, अधिवक्ता अप्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि ग्राम पारी प.ह. पारी के हल्के बैरूनी में मौजूदा रिकार्ड जमाबंदी दर्ज आराजियात खाता सं. 285 से दर्ज आ.सं. 2099 रकबा 0.13 है. बा 3 लगान 0.39 पैसा, आ.सं. 2100 रकबा 0.15 है. आ.चा. चाही 3 लगान 2.08 पैसा, आ.सं. 2101 रकबा 0.60 है. चाही 3 लगान 9.60 पैसा, आ.सं. 2102 रकबा 0.01 है. पडत 2, आ.सं. 2103 रकबा 0.72 है. चाही 3 लगान 11.52 पैसा, आ.सं. 2104 रकबा 0.16 है., आ.सं. 2105 रकबा 0.28 है. पडत 2 कुल किता 7 रकबा 2.05 है. लगान 23.59 पैसा स्थित है। जो वादी के 1/3 हिस्से से दर्ज रेवेन्यू रिकार्ड है। इसी अनुसार वादी मौके पर कब्जे काश्त है सिबूत के लिये हाल जमाबंदी नक्ल संलग्न है। उक्त आराजियात का बंटवारा नहीं हुआ है, प्रार्थी का शामलाती कब्जा काश्त है बंटवारा नहीं होने से काश्त करने, मुक्म्मल सीमा करने, लगान सामूहिक जमा कराने अप्रार्थीगण से विवाद है अप्रार्थीगण आये प्रार्थी के हक हिस्से पर नाजायज तौर पर कब्जा कर हंकाई बुवाई करने पर आमदा रहते हैं, प्रार्थी के हक हिस्से को जाया करने पर आमदा है। उक्त आराजियात शामिल शरीक संयुक्त खातेदारी की होने से अप्रार्थीगण मौके पर विवाद करते हैं प्रार्थी को अपने हक हिस्से कब्जे [illegible] प्रार्थी की आराजियात को खुर्द बुर्द कर रहन, बह, बक्षीस, वसीयन करने पर आमद[illegible] प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण के अस्थाई के अस्थाई निषेधाज्ञा का आ[illegible] सं. 2 में वर्णित आराजिया तमे अप्रार्थीगण दखलअन्दाजी नहीं करे रहन, बह, बक्शीश, [illegible] नहीं करें, प्रार्थी के हक हिस्से में हंकाई बुवाई अप्रार्थीगण नहीं करे व अप्रार्थी सं. 2 मौके की यथास्थिति कायम रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.20 09:55:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब पेश कर अपने जबाव में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मं प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है किन्तु वादी व प्रतिवादीगण ने मौके पर किसी प्रकार

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसाग

का मौखिक बंटवारा नहीं कर रखा है, प्रार्थी अप्रार्थीगण मिलकर ही काश्त कर रहे हैं। प्रा.पत्र की चरण सं. 2 स्वीकार है। शेष ईबारत गलत होने से स्वीकार नहीं है प्रार्थी का मौके पर अपने हिस्से अनुसार कब्जा नहीं हैं और प्रार्थी व अप्रार्थी उक्त आराजियात में संयुक्त काश्त करते चले आ रहे हैं, चरण सं. 3 गलत होने से स्वीकार नहीं, 4 अदालत के विचारणीय है, 5 स्वीकार है, 6 से 8 अदालत के विचारणीय है। प्रार्थी ने गलत शपथपत्र पेश किया है जवाब की ताईद में शपथ पत्र पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील प्रार्थिया की ओर से अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं वकील उपभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 आंशिक स्वीकार किया जाता है, मूल वाद के निर्णय तक मौके की यथास्थिति कायम रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.20 09:55:17 IST
Reason: SelfAttested